-:प्रेस नोट:-

सराहनीय कार्य कानपुर देहात **दिनांक- 05.08.2026**

- **थाना भोगनीपुर पुलिस टीम द्वारा कार्यवाही करते हुए जबरन वसूली करने वाले वाँछित 02 अभियुक्तगण को किया गया गिरफ्तार।**

कृपया अवगत कराना है कि जनपद कानपुर देहात में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे विशेष अभियान के क्रम में, दिनांक 04.08.2026 को थाना भोगनीपुर पर वादी श्री सिद्धार्थ सचान पुत्र स्व0 धर्मेन्द्र सचान निवासी-वार्ड नं0 -21, किदवई नगर, इन्द्र कम्प्यूटर वाली गली, पुखरायाँ, थाना भोगनीपुर, जनपद कानपुर देहात की लिखित तहरीर दी गयी कि दिनांक 04.08.2026 को वादी के नाबालिग पुत्र डरा-धमकाकर कर सोने व चाँदी के जेवरात व ₹1,53,000/- घर से चोरी कराये जाना तथा सोने व चाँदी के आभूषणों को सुनार ऋषभ गुप्ता पुत्र धर्मेन्द्र गुप्ता को बेच देने के सम्बन्ध में **मु0अ0सं0 264/2026 धारा 308(5) बीएनएस बनाम 1. आशुतोष सचान उर्फ आशू पुत्र अज्ञात नाम पता अज्ञात 2. ऋषभ गुप्ता पुत्र धर्मेन्द्र गुप्ता निवासी, सुनारी गली पुखरायां** थाना भोगनीपुर पंजीकृत किया गया। जिसमें थाना भोगनीपुर पुलिस द्वारा कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.08.2026 वाँछित अभियुक्तगण 1. आशुतोष सचान उर्फ आशु पुत्र सुरेश चन्द्र सचान निवासी किदवई नगर वार्ड नं 14 पुखरायां थाना भोगनीपुर कानपुर देहात उम्र करीब 20 वर्ष 2. ऋषभ गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र धर्मेन्द्र गुप्ता निवासी बरतन बाजार ईश्वर चन्द नगर वार्ड नं 25 पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात उम्र 23 वर्ष को पटेल चौक पुखरायां के पास हाइवे पर थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण को नियमानुसार माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

पूछताछ

पूछने पर अभियुक्तों ने बताया गया कि आशुतोष पर कुछ व्यक्तियों का कर्ज हो गया था। इसी कारण हम दोनों ने आपसी सहमति से योजना बनाई कि वादी के नाबालिग पुत्र को डरा-धमकाकर उसके माध्यम से घर से सोना-चाँदी एवं नकदी मंगवाकर आपस में बांट लेंगे। योजना के अनुसार आशुतोष ने वादी के नाबालिग पुत्र को डरा-धमकाकर उसके घर से सोना-चाँदी एवं रुपये लाकर देने को कहा। भयवश नाबालिग ने सोना-चाँदी लाकर को आशुतोष को दे दिये। जिसे उसने अपने साथी ऋषभ गुप्ता उर्फ गोलू को दे दिया। ऋषभ, जो सुनार का कार्य करता है, ने उक्त सोना-चाँदी को गलाकर उसकी बिक्री की तथा प्राप्त धनराशि में से आशुतोष को उसके हिस्से के लगभग ₹40,000/- दे दिए, जिन्हें उसने अपने खर्च में उपयोग कर लिया। पूछताछ के दौरान आशुतोष ने यह भी बताया कि वादी एवं उसके पुत्र द्वारा लगभग ₹16 लाख मूल्य के जेवरात एवं नकदी चोरी होने की बात बढ़ा-चढ़ाकर बताई गई है। उसके अनुसार उसने नाबालिग से लगभग डेढ़ से दो तोला सोना ही प्राप्त किया था।

गिरफ्तारशुदा अभियुक्तगण का विवरण–

1. आशुतोष सचान उर्फ आशु पुत्र सुरेश चन्द्र सचान उम्र करीब 20 वर्ष निवासी किदवई नगर वार्ड नं 14 पुखरायां थाना भोगनीपुर कानपुर देहात
2. ऋषभ गुप्ता उर्फ गोलू पुत्र धर्मेन्द्र गुप्ता उम्र करीब 23 वर्ष निवासी बरतन बाजार ईश्वर चन्द नगर वार्ड नं 25 पुखरायां थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

अभियुक्तगण आशुतोष सचान उर्फ आशु व ऋषभ गुप्ता उर्फ गोलू उपरोक्त का आपराधिक इतिहास

1. मु0अ0सं0 264/2026 धारा 308(5) बीएनएस थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात

गिरफ्तार करने वाली थाना भोगनीपुर पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सौरभ सिंह चौकी प्रभारी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
2. का0 77 बीरप्पन चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
3. का0 125 कुलदीप समाधिया चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात
4. का0 534 हर्ष चौधरी चौकी पुखरायाँ थाना भोगनीपुर जनपद कानपुर देहात